भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4176

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज

4176. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, के लिए स्वास्थ्य कवरेज को शामिल किया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने देश भर में लाभार्थियों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी करने को सुचारु बनाने के लिए कोई तंत्र शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): दिनांक 29.10.2024 को, भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया है।

(ग): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता आधारित योजना है, जिसमें सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से

कवर किया जाता है। इस योजना में नामांकन की आवश्यकता नहीं है, तथापि, लाभार्थी की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में सभी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं।

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन आवेदन-आधारित है, जिससे लाभार्थी अपने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन एप्लिकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) सहित योजना में नामांकन के लिए आवेदन के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं। स्व-पंजीकरण की सुविधा उपर्युक्त एप्लिकेशन में भी उपलब्ध है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में अधिक पूछताछ के लिए, लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर (14555) चौबीस घंटे उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों (पीएमएएम) को सूचीबद्ध अस्पतालों में तैनात किया गया है, जो लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और उपचार करने वाले डॉक्टरों/देखभाल करने वालों के साथ बातचीत करके शीघ्र उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए संपर्क के प्रथम केन्द्र के रूप में यूनिफार्म कियोस्क भी तैनात किए गए हैं, जो जागरूकता, कार्ड बनाने में सहायता और उपचार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

*****